(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 10/2026

पंजीकरण संख्या :– 2026/40

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

परवन वृहद सिंचाई परियोजना अधिकारी महोदय, परवन वृहद सिंचाई परियोजना जलसंसाधन वृत्त झालावाड़ जिला झालावाड़(राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी नामांतरण संख्या 493 दिनांक 07.12.2024 वाके ग्राम गुन्दलाई तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– पेरोकार सरकार (अपीलांट)

2– श्री आशीष गुप्ता, एईएन (रेस्पो.)

निर्णय दिनांक 29.05.2026

अपीलांट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर तहसीलदार, छीपाबड़ौद जिला बारॉ के तस्दीकी नामांतरण संख्या 493 दिनांक 07.12.2024 वाके ग्राम गुन्दलाई तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ(राज.) से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 06.05.2026 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पो. की ओर से श्री आशीष गुप्ता, सहायक अभियंता, परवन परियोजना बांध उपखंड I, झालावाड़ (खंड तृतीय, झालावाड़) उपस्थित है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल की प्रमाणित प्रति तलब की गई जो प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील मेमो के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे., खसरा नं. 119 रकबा 0.162 हे., खसरा नं. 121 रकबा 0.4047 है. खसरा नं. 98 रकबा 0.072 है. भूमि में से जल संसाधन विभाग के नाम खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 है., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 है., खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. के नाम अवाप्त की गई है, जिसका सहवन से नामांतरण संख्या 493 जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज हो गया। उक्त आराजी पर न्यायालय में वाद दायर है तथा संबंधित काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान भी नहीं हुआ है।

ग्राम गुन्दलाई की आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 है., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 है., खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. परवन वृहद सिंचाई परियोजना के अंर्तगत अधिग्रहण कर लिया गया, जबकि वाके ग्राम गुंदलाई पटवार हल्का अमलावदा आली तहसील छीपाबड़ौद में आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 है., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157, खसरा नं. 119 रकबा 0.162 हे., खसरा नं. 121 रकबा 0.4047 है. खसरा नं. 98 रकबा 0.072 है. पर न्यायालय उपखंड अधिकारी, छीपाबड़ौद के यहां वाद जैरकार होने के कारण संबंधित काश्तकार को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने के बावजदू भी अवाप्तशुदा आराजी का नामांतरण दर्ज कर उक्त आराजी को परवन सिंचाई परियोजना के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया है, जो कि सहवन से हुई त्रुटिमात्र है। अधिशासी अभियंता, जल संसाधन परवन परियोजना खंड III, झालावाड़ के पत्र क्रमांक

3476–80 दिनांक 28.03.2026 से अनुरोध किया गया है कि ग्राम गुंदलाई की आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे., खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. भूमि परवन परियोजना जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज हो चुके है, जिनको पुनः संबंधित काश्तकारों के नाम दर्ज किया जावे ताकि उक्त आराजी पर उपखंड न्यायालय, छीपाबड़ौद में दर्ज वाद का निस्तारण हो सके तथा संबंधित काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान किया जा सके, तत्पश्चात् अवाप्तशुदा आराजी का नामांतरण जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज किया जा सके।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अवाप्त आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे., खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. वाके ग्राम गुंदलाई से संबंधित रेस्पोडेन्ट के नाम खोला गया इंतकाल नं. 493 दिनांक 07.12.2024 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता, परवन परियोजना बांध उपखंड I, झालावाड़ (खंड तृतीय, झालावाड़) के पत्रांक 63–64 दिनांक 12.05.2026 के संलग्न तथ्यात्मक रिपोर्ट को दोहराते हुए कथन किया गया कि ग्राम गुन्दलाई तहसील छीपाबड़ौद के आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे., खसरा नं. 119 रकबा 0.162 हे., खसरा नं. 121 रकबा 0.4047 है., खसरा नं. 98 रकबा 0.072 है. में माननीय उपखंड न्यायालय, छीपाबड़ौद में प्रकरण सं. बी–57/2019 दर्ज है। उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त खसरों में से खसरा संख्या 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे.,खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज हुए है। उक्त खसरे पटवारी अमलावदा आली तहसील छीपाबड़ौद द्वारा सहवन से हुई त्रुटि मात्र से जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमि पर माननीय उपखंड न्यायालय छीपाबड़ौद के निर्णय दिनांक 09.02.2026 की अनुपालना हेतु पुनः संबंधित काश्तकारों के नाम दर्ज किये जाये ताकि उक्त आराजी पर माननीय उपखंड न्यायालय छीपाबड़ौद में दर्ज वाद का निस्तारण किया जा सके तथा संबंधित काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके जिससे जल संसाधन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार, छीपाबड़ौद जिला बारॉ के तस्दीकी नामांतरण संख्या 493 दिनांक 07.12.2024 वाके ग्राम गुन्दलाई तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.) का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि परवन वृहद् सिंचाई परियोजना दायीं मुख्य नहर जल संसाधन वृत्त झालावाड़ के नाम दर्ज किया गया है। आराजी खसरा नं. 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे., खसरा नं. 119 रकबा 0.162 हे., खसरा नं. 121 रकबा 0.4047 है., खसरा नं. 98 रकबा 0.072 है. में माननीय उपखंड न्यायालय, छीपाबड़ौद में प्रकरण सं. बी–57/2019 दर्ज है। उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्त, बारां द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त खसरों में से खसरा संख्या 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे.,खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज हुए है। उक्त खसरे पटवारी अमलावदा आली तहसील छीपाबड़ौद द्वारा सहवन से हुई त्रुटि मात्र से जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज की गई है। उक्त भूमि पर माननीय उपखंड न्यायालय छीपाबड़ौद के निर्णय दिनांक 09.02.2026 की अनुपालना हेतु पुनः संबंधित काश्तकारों के नाम दर्ज किये जाये ताकि उक्त आराजी पर माननीय उपखंड न्यायालय छीपाबड़ौद में दर्ज वाद का निस्तारण किया जा सके तथा संबंधित काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा सके जिससे जल संसाधन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है। इस प्रकार उक्त नामांतरण त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा तस्दीकी नामांतरण संख्या 493 दिनांक 07.12.2024 वाके ग्राम गुन्दलाई तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.) खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार छीपाबडौद को रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है नामांतरण संख्या 493 दिनांक 07.12.2024 वाके ग्राम गुन्दलाई तहसील छीपाबडौद मे से खसरा संख्या 118 रकबा 0.3237 हे., खसरा नं. 120 रकबा 0.3157 हे.,खसरा नं. 375/119 रकबा 0.120 है., खसरा नं. 377/121 रकबा 0.3431 है., खसरा नं. 393/98 रकबा 0.0572 है. को वापिस पूर्व स्थिति मे रखते हुए, शेष खसरा नम्बरान का नये सिरे से नामांतरण परवन वृहद् सिंचाई परियोजना दायीं मुख्य नहर जल संसाधन वृत्त झालावाड के नाम दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **29.05.2026** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ